कार्यालय प्रमुख अभियंता,
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग
27-28 निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
Website : www.mp.gov.in/pwdmp Email : pwdbhop@mp.nic.in
Phone No.– 0755-2551485, Fax – 2556527

क्रमांक/संचार/सर्कुलर/लोनिवि/2016/2334 भोपाल,दिनांक 22–07–2016

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
सेतु परिक्षेत्र भोपाल।

विषयः– वृहद पुलों के निरीक्षण एवं रख–रखाव के संबंध में।

––00––

यह पाया गया है, कि कतिपय प्रकरणों में प्रदेश के वृहद पुलों के निरीक्षण एवं रख–रखाव के संबंध में यथासमय समुचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पुलों में क्षति हुई है, तथा एकाधिक प्रकरण में जनहानि की स्थिति भी निर्मित हुई है। पुलों के निरीक्षण एवं रख–रखाव के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज के द्वारा जारी आई. आर. सी. स्पेशल पब्लिकेशन 18 , मैनुअल फार हाईवेज ब्रिज मेटेंनेंस इंस्पेक्शन, आई. आर. सी. 52:1998 ब्रिज इंस्पेक्शन्स रेफरेंस मैनुअल तथा पॉकेट बुक फार ब्रिज इंजीनियर्स में दिये गये हैं।

पुलों के सूक्ष्म निरीक्षण हेतु विभाग में एक ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट भी उपलब्ध है। जिसके द्वारा डिस्ट्रेस्ड पुलों का निरीक्षण कर इनमें सुधार किया जा सकता है। मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पुलों का रूटीन इंस्पेक्शन प्रिंसिपल इंस्पेक्शन तथा स्पेशल इंस्पेक्शन किया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संदर्भ में पुल के मजबूतीकरण/रख–रखाव की कार्रवाई की जाना है, ताकि पुल पर से निर्बाधित यातायात संचालित किया जा सके।

पुलों के निरीक्षण के पश्चात् निर्धारित प्रोफार्मा में हाफ ईयरली एवं ईयरली इंस्पेक्शन रिपोर्ट जारी किया जाये, तथा इसका रिकार्ड भी रखा जाये। निरीक्षण के दौरान यदि पुल में गंभीर क्षति पाई जाती है, जिसके कारण इस पर से गुजरने वाले यातायात को खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में पुल पर से यातायात तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जानी चाहिये तथा क्षतिग्रस्त पुल को तुरंत सुधारने /यदि आवश्यक हो तो नवीन पुल बनाये जाने की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ की जाये। यह भी निर्देशित किया जाता है, कि यदि पुल के नीचे कोई अनाधिकृत झुग्गी/दुकान/हाथठेला लगाये गये हों तो उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पुल पर से कोई भी वाटर सप्लाई लाईन/बिजली अथवा टेलीफोन के पोल्स इत्यादि विभाग की अनुमति के उपरांत ही लगाये जायें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / संचार / सर्कुलर / लोनिवि / 2016 / 2335 भोपाल, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश